

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांक:-ए.4(1)लेखा/राज्यनिधि/2023-24/८४८

दिनांक:- 25.1.24  
23.1.24

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना अन्तर्गत आशा सहयोगनियों के मानदेय भुगतान बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत आशा सहयोगनियों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना अन्तर्गत आशा सहयोगनियों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रु 240.00 करोड का प्रावधान स्वीकृत है, जो निम्नानुसार है:- (राशि लाखों में)

क्र0सं0	बजट मद	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय	शेष राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2211-00-800-12-01 Gen.	16800.00	12099.74	4700.26
2.	2211-00-796-17-01 TSP	3120.00	2533.70	586.30
3.	2211-00-789-15-01 SCSP	4080.00	2964.31	1115.69
	<b>Total</b>	<b>24000.00</b>	<b>17597.75</b>	<b>6402.25</b>

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना अन्तर्गत आशा सहयोगनियों को मानदेय भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, परिवार कल्याण मुख्यालय।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर